राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 5/2021 दायर दिनांकः–21.01.2021

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. श्रीमती मनुड़ी पत्नि मंगला जाति गुर्जर उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम गहलोता तह0 दूदू जिला जयपुर राजस्थान

––––प्रार्थीया

वनाम

1. रतनी पत्नि सुवा जाति कुम्हार उम्र वालिग
2. पूसा पुत्र सूवा जाति कुम्हार उम्र वालिग
3. रामेश्वर पुत्र हरदीन जाति कुम्हार उम्र वालिग सर्व निवासी ग्राम रामपुरा तह0 रूपनगढ जिला अजमेर।
4. दयाल राम पुत्र कानाराम जाति जाट उम्र वालिग निवासी रामनेर ढाणी तह0 व जिला अजमेर।
5. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

––अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू0रा0अधि0 1956

वास्ते सीमाओं की पत्थरगढ़ी करवाने वावत्।

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

निर्णय दिनांक 15.12.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की कब्जे काश्त, खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम रामपुरा पटवार हल्का बुहारू पटवार निरीक्षक हरमाडा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में अवस्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है खाता संख्या पुराना 174 खाता संख्या नया 178 ख0न0 522 रकवा 1.2054 है0 किस्म बारानी प्रथम 1.1892 बारानी तृतीय 0.0162 जो मेरे सम्पूर्ण जमाबन्दी में अर्न्तनिहित है तथा उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार मुझ प्रार्थीया के नाम कब्जे, काश्त एवं खातेदारी में दर्ज है। इस कृषि भूमि पर प्रार्थीया मौके पर काविज काश्त करती चली आ रही है तथा प्रार्थीया की उक्त भूमि में किसी भी प्रकार से कोई हक व हिस्सा या दखल नहीं है। प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि भूमि पर प्रार्थीया मौके पर काविज, काश्त करती चली आ रही है तथा उक्त ख0न0की भूमि का राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम होने के वावजूद प्रार्थीया व पड़ोसी खातेदारान के मध्य नीव, सींव को लेकर भविष्य में विवाद उत्पन्न ना हो इसलिए प्रार्थीया की उक्त ख0न0 की भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया ने दिनांक 30.6.2020 को [illegible] साहब के आदेश कमांक भू.अ./सी.ज्ञा./2020/024 दि. 18.06.2020 की पा[illegible] में [illegible]या के ख0न0 522 की पटवारी हल्का बुहारू व सुरसुरा द्वारा मौके पर उपस्थित खा[illegible] पड़ोसियों के समक्ष सीमाज्ञान करवाया गया था। सीमाज्ञान करवाकर मौका पर्चा भी तैयार किया था। प्रार्थीया [illegible] उक्त सीमाज्ञान के अनुसार अपनी सीमा पर मेड़ लगाने की को[illegible]श की तो पड़ोसी खातेदा[illegible] इस सीमाज्ञान को मानने से इन्कार करते हुये मना कर दिया तब से वाद कारण उत्पन्न हो गया है व निर्बाध रूप से जारी है।

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.01.31 12:01:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया निर्बाध रूप से अपनी आराजी पर काबिज, काश्त करती आ रही है तथा प्रार्थीया को अपने खेतों में भूमि की बुवाई, जुताई,बिजाई, निराई, गुडाइ ,जोत करने तथा नींव, मेड़ को लेकर आपत्ति एवं बाधा रूकावट पैदा ना हो इसलिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है इसलिए प्रार्थीया द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 तक को प्रार्थना पत्र में पड़ोसी खातेदार होने के कारण से पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी सं0 5 भूमिधारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त आराजी माननीय न्यायालय के राजस्व क्षेत्राधिकार की सीमाओं में स्थित होने से श्रीमान को प्रार्थना पत्र को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्राथी संख्या 4 स्वयं उपस्थित किन्तु जवाब देने से इन्कार किया। प्रकरण में बहस सुनी गयी। तदनुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रामपुरा पटवार हल्का बुहारू के ख0न0 522 रकवा 1.2054 है0 भूमि की पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.01.31 12:01:15 IST
Reason: SelfAttested